राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांकः—बीकेजेड / 2522:218 / ले.आ.प्लान / 2024 / पदमपुर / दिनांकः—

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका,
पदमपुर।

विषयः—चक 24 बी.बी. मु.नं. 24 के किला नं. 9, 12 ता 14, 16 ता 19, 22 ता 25 में यथाकुल 2.117 है. भूमि के वेयर हाउस प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में तकनीकी राय बाबत्।

संदर्भः—आपका पत्रांक राजकाज रेफ 11381448 दिनांक 24.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदकगण श्री मोनु सिंह पुत्र श्री मानसिंह व श्रीमती बिरमा देवी पत्नी श्री सोहन लाल की वाके चक 24 बी.बी. के मु.नं. 24 के कि.न. 9 / 2 / 0.0580 है0, 12 / 1 / 0.1780 है0, 12 / 4 / 0.0530 है0, 13 / 1 / 0.0640 है0, 13 / 3 / 0.0170 है0, 13 / 4 / 0.0450 है0, 14 / 1 / 0.0130 है0, 16 / 2 / 0.0380 है0, 17 / 0.1900 है0, 18 / 1 / 0.1300 है0, 18 / 3 / 0.0540 है0, 18 / 4 / 0.0090 है0, 18 / 5 / 0.0600 है0, 19 / 3 / 0.1155 है0, 19 / 4 / 0.0145 है0, 19 / 5 / 0.1010 है0, 22 / 1 / 0.2310 है0, 23 / 1 / 0.1230 है0 23 / 2 / 0.1300 है0, 24 / 0.2530 है0, 25 / 0.2400 है0 कुल 2.117 है0 भूमि के वेयर हाउस प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में तकनीकी राय बाबत् प्रकरण कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत भूमि का भू—उपयोग पदमपुर मास्टर प्लान अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र हेतु प्रावधानित हैं तथा भूमि पदमपुर – श्रीकरणपुर मार्ग पर स्थित हैं, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 150 फीट चौड़ा प्रावधानित हैं। विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार वेयर हाउस एवं गोदाम परिधि नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत अनुज्ञेय हैं। प्रश्नगत भूमि के पूर्वी दिशा में मास्टर प्लान की 120 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित हैं। आवेदित भूमि के मध्य 33 केवी क्षमता की विद्युत लाईन स्थित है, जिसे हटाये जाने हेतु आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। गूगल मानचित्र व टोटल स्टेशन सर्वे अनुसार आवेदित भूमि रिक्त हैं। प्रस्तावित योजना मानचित्र में आवेदित भूमि में से 3065.29 वर्गमीटर (14.48 प्रतिशत) भूमि मास्टर रोड़ के अन्तर्गत है। विभागीय परिपत्र दिनांक 26.02.2013 एवं दिनांक 04.05.2015 के अनुसार योजनाओं में मास्टर प्लान / सैक्टर प्लान की सड़कों के मार्गाधिकार हेतु 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल निशुल्क समर्पित किये जाने की स्थिति में टाउनशीप पॉलिसी के तहत सुविधा क्षेत्र में समानुपात में छूट दिये जाने का प्रावधान है। योजना मानचित्र, मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान (पार्ट), गूगल इमेजरी, टोटल स्टेशन सर्वे, कनिष्ठ अभियंता व अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पदमपुर द्वारा प्रमाणित हैं।

प्रकरण में प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 21170.56 वर्गमीटर है, जिसमें आवश्यक संशोधन उपरान्त सामान्य व्यावसायिक का क्षेत्रफल 3045.48 वर्गमीटर (14.39 प्रतिशत), सामान्य वेयर हाउसिंग का क्षेत्रफल 8460.96 वर्गमीटर (39.97 प्रतिशत), कॉमन पार्किंग 304.54 वर्गमीटर {(01.44 प्रतिशत) व्यावसायिक भूखण्डो का 10.00 प्रतिशत)}, इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 423.17 वर्गमीटर (02.00 प्रतिशत), जन सुविधा क्षेत्र (पी.यू.) का क्षेत्रफल 1386.07 वर्गमीटर (06.54 प्रतिशत) तथा सड़को का क्षेत्रफल 7550.34 वर्गमीटर (35.66 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तुत संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "एल" के अन्तर्गत कुल भूमि 21170.56 वर्गमीटर रुपान्तरण योग्य भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले—आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की जाती हैः—.

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया हैं। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अधिसूचना / आदेश / परिपत्र / दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
2. आवेदित भूमि भूमि पदमपुर – श्रीकरणपुर मार्ग पर स्थित हैं, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 150 फीट चौड़ा प्रावधानित हैं। अतः सड़क (विद्यमान सडक के R.O.W. के मध्य से 75 फीट भूमि) मार्गाधिकार में आने वाली तथा पूर्वी दिशा में प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि छोड़ते हुए शेष भूमि पर योजना का कियान्नवन किया जाना होगा। आवेदित भूमि में से उक्त सड़क मार्गाधिकार में आने वाली आवश्यक भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जाना होगा। सड़को के अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
11439557

Digitally signed by Rakesh Matwa
Designation : Senior Town Planner
Date: 2024.10.26 13:57:44 IST
Reason: Approved

सम्पर्क – भूखण्ड सं. 01, गाँधीनगर, लालगढ, बीकानेर – [illegible], दूरभाष संख्या 0151-[illegible]
ई—मेल आईडी – townplanningbikaner@red[illegible]m

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

3. योजना में प्रस्तावित व्यावसायिक तथा वेयर हाउस प्रयोजनार्थ भूखण्डो पर सेट बैकस व ऊँचाई व अन्य मानदण्ड विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार कायम किये जाने होगें।
4. योजना में आरक्षित जन सुविधा क्षेत्र व सुविधा क्षेत्र के भूखण्डो का निष्पादन टाउनशीप पॉलिसी 2010 एवं उपरोक्त के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचना/परिपत्र अनुसार किया जाना अपेक्षित हैं।
5. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्डों का निष्पादन टाउनशीप पालिसी 2010 के प्रावधानो के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जावें।
6. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 7.02 अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण खुला क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।
7. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
8. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
9. योजना में स्थित 33 के.वी. क्षमता की विद्युत लाईन को प्रस्ताव अनुसार अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा। विद्युत लाईन के नीचे स्थित भूखण्डो का नियमन लाईन के स्थानान्तरण उपरान्त ही किया जावें। योजना क्षेत्र में नवीन स्थानान्तरित स्थान पर एच.टी. लाईन की क्षमता अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 17.06.2022 के प्रावधान अनुसार आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय/विकासकर्ता स्तर पर अपेक्षित होगी।
10. आवेदित योजना क्षेत्र के मध्य यदि कोई सिंचित खाला गुजर रहा हो तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुऐ सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होगे तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित हैं।
11. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नही है, की सुनिश्चिता निकाय द्वारा की जावे।
12. इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में केवल तकनीकी राय प्रेषित की जा रही है। भूमि में मौके पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कायम होने, क्षेत्रफल व माप, न्यायिक वाद, किसी विभाग के स्तर पर जॉच, भू-स्वामित्व की जॉच एवं आवेदित भूमि किसी प्रकार के निषेध क्षेत्र अथवा राजकीय भूमि का भाग नहीं हो की सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित होगी।
13. यदि मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी राय अनुसार मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावें।

उक्त राय निकाय से प्राप्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रदान की गई है।

संलंग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र की दो प्रतियॉ

भवदीय,

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

RajKaj Ref
11439557

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Matwa
Designation : Senior Town Planner
Date: 2024.10.26 15:57:44 IST
Reason: Approved

सम्पर्क – भूखण्ड सं. 01, गॉधीनगर, लालगढ, बीकानेर – 334001,
ई–मेल आईडी – townplanningbikaner@rediffmail.com

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

कार्यालय नगरपालिका पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

ई–मेल eopadampur.lsg@rajasthan.gov.in, फोन नं./फैक्स न. 01505–232090

क्रमांक :– दिनाँक :–

ले–आउट प्लान समिति की बैठक

श्रीमान् अध्यक्ष महोदया नगरपालिका पदमपुर अध्यक्ष स्थानीय स्तरीय ले–आउट अनुमोदन समिति की अध्यक्षता में कृषि भूमि से अकृषि भूमि रूपान्तरण के प्रकरणों का ले–आउट प्लान/साईट प्लान अनुमोदन व नियमन पर विचार तथा उन पर निर्णय हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति की बैठक का आयोजन दिनाँक 22/9/25 को प्रातः 11:00 बजे नगरपालिका पदमपुर मिटिगं हाल में किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य महानुभावो ने भाग लियाः–

1. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगरपालिका पदमपुर — अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पारूपकार नगरपालिका श्रीकरणपुर — सदस्य
3. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पदमपुर — सदस्य सचिव

कोरम पूर्ण होने पर समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें निम्नलिखित ऐजेण्डे पर विचार–विमर्श किया गया।

ऐजेण्डा 01 : सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि **श्री मोनू पुत्र श्री मान सिंह जाति धानक व श्रीमती बिरमा देवी पत्नी श्री सोहन लाल जाति वाल्मिकी निवासीयान पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर (राज०)** द्वारा राजस्व ग्राम **चक 24 बीबी** तहसील **पदमपुर** खाता संख्या **45/304 मुरब्बा नं. 24 किला नं. 13/1/0.0640 है. 14/1/0.0130 है. 16/2/0.0380, 17/0.1900, 18/1/0.1300, 23/2/0.1300, 24/0.2530, 25/0.2400 कुल 1.0580 है० बारानी भूमि एवं खाता संख्या 351/275 मुरब्बा नं. 24 किला नं. 18/5/0.0600, 19/3/0.1155, 22/1/0.2310, 23/1/0.1230 कुल 0.5295 है० बारानी भूमि एंव खाता संख्या 275/227 मुरब्बा नं. 24 किला नं. 9/2/0.0580, 12/1/0.1780, 13/3/0.0170, 18/4/0.0090, 19/4/0.0145 कुल 0.2765 है० बारानी भूमि व खाता संख्या 369/297 मुरब्बा नं. 24 किला नं. 12/4/0.0530 है० 13/4/0.0450, 18/3/0.0540, 19/5/0.1010 कुल 0.2530 है० (कुल भूमि 2.117 हैक्टेयर)** भूमि का भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के तहत् कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ **(वेयर हाऊस)** ले आउट प्लान अनुमोदन का प्रकरण समिति के समक्ष रखा।

प्रार्थी द्वारा **(वेयर हाऊस)** प्रयोजनार्थ अनुज्ञा और आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क एवं ततधीन बनाये गए राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि परियोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 अधिसूचना प.3(90) नविवि/3/32012 जयपुर दिनाँक 21.06.2021 में वर्णित समस्त दस्तावेज दिनाँक 20.02.2025 को पालिका में प्रस्तुत किये। प्रकरण के सम्बंध में नगरपालिका स्तर पर की गई जांच और कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि पदमपुर–श्रीकरणपुर मार्ग के दक्षिण–पश्चिमं में स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2010–2031 में 150 फीट है। आवेदित भूमि के दक्षिण में मास्टर प्लान की 120 फीट रोड़ प्रस्तावित है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2010–2031 में परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है। आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है। आवेदित भूमि में से टोटल स्टेशन मानचित्र में दर्शाये अनुसार मौके पर एचटी लाईन गुजर रही है।

प्रकरण के संबंध में नियम 6 के अनुसार प्राप्त आवेदन का एक सैट नियम 3(1) के तहत जाँच कर 15 दिवस के भीतर सहमति/आक्षेप भिजवाने हेतु पत्र ऑनलाईन क्रमांक LSGCLU90A/2024-25/102641 दिनाँक 01.10.2024 के द्वारा तहसीलदार राजस्व को भिजवाया गया जिसका प्रतिउत्तर कार्यालय तहसीलदार (राजस्व)के पत्रांक 371 दिनाँक 04.10.2024 पालिका को प्राप्त हो चुका है। तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बंधित प्रवर्ग में नहीं है तथा किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश/व्यादेश भूमि के संबंध में

प्रवर्तन में नहीं है। प्रकरण में संबंध में तकनीकी राय हेतु आवेदन एक सैट पत्र राजकाज रैफ नं. 11381448 दिनाँक 24.10.2024 द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, बीकानेर को भिजवाया गया। पालिका द्वारा निर्धारित प्रारूप 10 में राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में दिनांक 08.10.2024 लोक सूचना को प्रकाशित करवाई गई अन्दर मियाद कोई आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक महोदय, नगर नियोजक विभाग, बीकानेर के रेफ न 11439557 दिनाक 26.10.2024 द्वारा प्रकरण में संबंध में तकनीकी राय प्राप्त हो चुकी है। नगर नियोजन संबंधी राय के आधार पर आवेदित भूमि का (वेयर हाऊस)प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का (वेयर हाऊस) प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– **बाद विचार विमर्श समिति द्वारा उपरोक्त शर्तो के आध्याधीन उक्त आवेदित भूमि के (कृषि जिंसों हेतु वेयर हाउस) साईट प्लान अनुमोदन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया :–**

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 वं विभागीय अधिसचूना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार समय–समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवयक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2. आवेदित भूमि पदमपुर–श्रीकरणपुर मार्ग पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 150 फीट चौड़ा प्रावधानित है। अतः सड़क (विद्यमान सड़क के R.O.W. के मध्य से 75 फीट भूमि) मार्गाधिकार में आने वाली तथा पूर्वी दिशा में प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि छोड़ते हुए शेष भूमि पर योजना का क्रियान्नवन किया जाना होगा। आवेदित भूमि में से उक्त सड़क मार्गाधिकार में आने वाली आवश्यक भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जाना होगा। सड़कों के अलाईन्मेंट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
3. योजना में प्रस्तावित व्यावसायिक तथा वेयर होउस प्रयोजनार्थ भूखण्डों पर सेट बैकस व ऊँचाई व अन्य मानदण्ड विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार कायम किये जाने होगे।
4. योजना में आरक्षित जन सुविधा क्षेत्र व सुविधा क्षेत्र के भूखण्डों का निष्पादन टाउनशीप पॉलिसी 2010 एवं उपरोक्त के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचना/परिपत्र अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
5. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड़ों का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधनों के संबंध में जारी आदेशों के अनुसार किया जावें।
6. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 7.02 अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण खुला क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।
7. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्ड़ों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
8. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये।
9. योजना में स्थित 33 केवी क्षमता की विद्युत लाईन को प्रस्ताव अनुसार अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा। विद्युत लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड़ों का नियमन लाईन के स्थानान्तरण उपरान्त ही किया जावे। योजना क्षेत्र में नवीन स्थानान्तरित स्थान पर चटी लाईन की क्षमता अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 17.06.2022 के प्रावधान अनुसार आवश्यक भूमि

Rubby

खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता विकासकर्ता स्तर पर अपेक्षित होगी।

(प्रारूप रीडर)
विकास बिश्नोई
भूमि शाखा लिपिक

(ललिता सरस्वा)
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
नगरपालिका पदमपुर

(ममता)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका श्रीकरणपुर

(देवेन्द्र कौशिक)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका पदमपुर

(रूबी मिगलानी)
अध्यक्ष
नगरपालिका पदमपुर

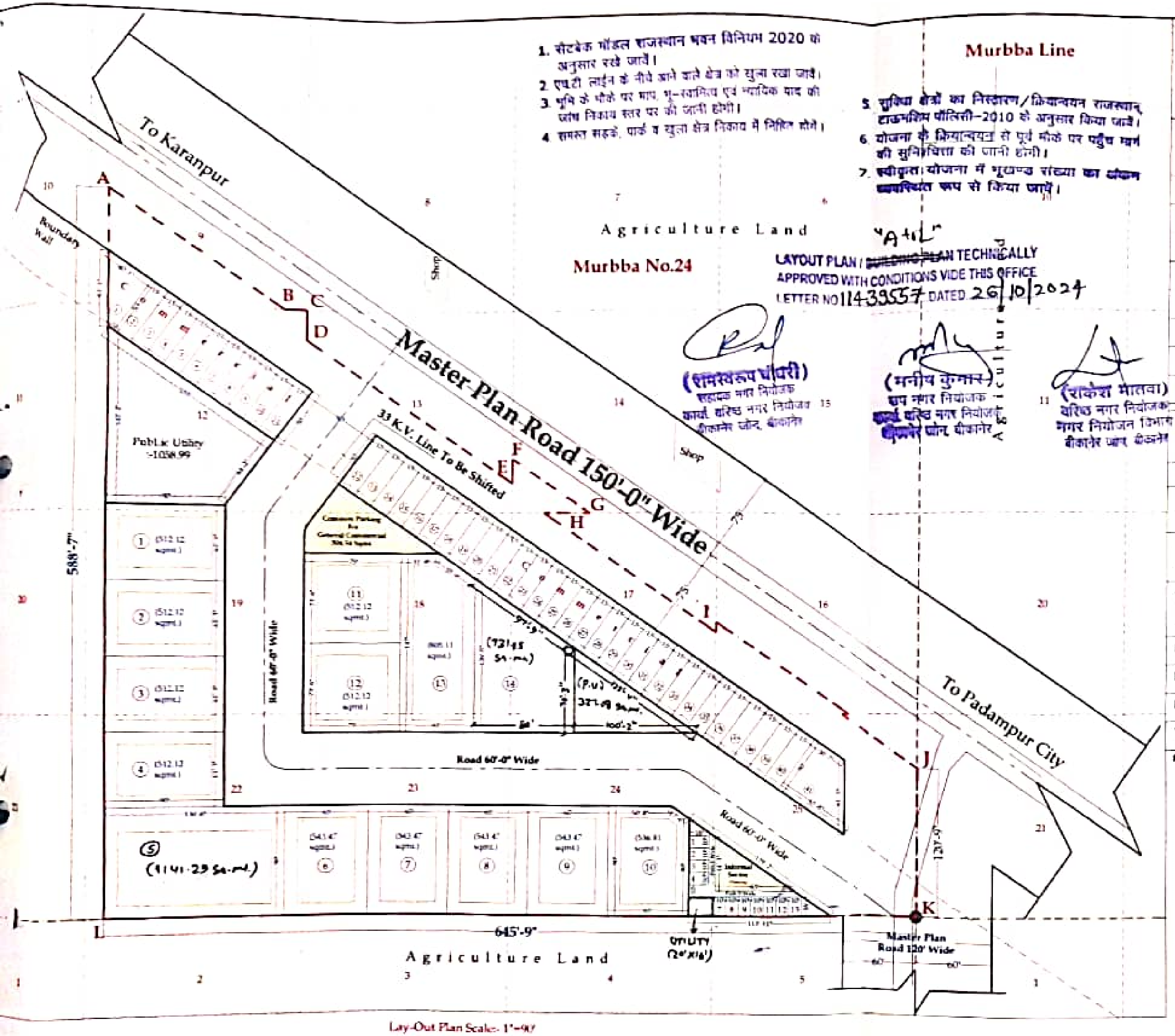

1. सैटबेक मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मौके पर माप, भू-स्वामित्व एवं न्यायिक वाद की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र निकाय में निहित होंगे।
5. सुविधा क्षेत्रों का निस्तारण/क्रियान्वयन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार किया जावें।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मौके पर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. स्वीकृत योजना में भूखण्ड संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किया जावें।

"A+L"

LAYOUT PLAN / ~~BUILDING PLAN~~ TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO 114-39557 DATED 26/10/2024

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मालवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

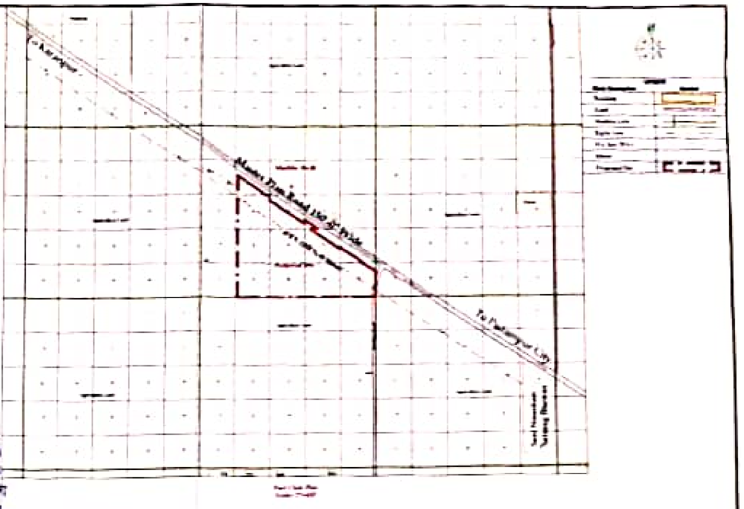

Area Analysis

Particular	Area(Sqmt.)	%
General Commercial	3045.48	14.39
General Warehousing	8460.96	39.97
Common Parking For General Commercial	304.54 (10% of General Commercial)	01.44
Informal Sec.	423.17	02.00
Facility (P.U.)	1386.07	06.54
Roads	7550.34	35.66
Total Area	21170.56	100.00

* AREA UNDER MASTER PLAN ROAD = 3065.25 Sq.mt. (14.48%)

LAND USE & AREA ANALYSIS CHECKED BY-

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, पदमपुर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका पदमपुर

Owner's Name:-
Mrs. Birma Devi W/o Mr. Sohan Lal,
Mr. Monu S/o Mr Maan Singh

मोनू   Birma Devi

Owner's Land:-
227882.00 Sqft. Or 21170.56 Sqmt. Or 2.117 Hectare

Lay-Out Plan Of General Warehousing Chak No. 24 B.B. ,Murbba No. 24,Killa No.9/2(0.058),12/1(0.178),12/4(0.053),13/1(0.064), 13/3(0.017),13/4(0.045),14/1(0.013),16/2(0.038),17(0.190),18/1(0.130),18/3(0.054),18/4(0.009),18/5(0.060),19/3(0.1155),19/4(0.0145), 19/5(0.101),22/1(0.231),23/1(0.123),23/2(0.130),24(0.253),25(0.240) Total=2.117 Hectare At Padampur , Distt:- SriGanganagar (Raj.)

ENGINEERS POINT
BRANCH OFFICE -SHOP NO. 62-63,
NEAR HEAD POST OFFICE
SRIGANGANAGAR ROAD ,
HANUMANGARH JN
MOB:-80583-35789, 96676-48560

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

BY 553367

शपथ पत्र

हम बिरमा देवी पत्नी सोहन लाल जाति बाल्मिकी निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0 व मोनू पुत्र श्री मान सिंह जाति धानक निवासी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0 के है ।

1– हमारे द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि राजस्व स्वामित्व की भूमि वाका तहसील पदमपुर के चक न0 24 BB मु.न. 24 के किला न0 9/2/0.058,12/1/0.178,12/4/0.053,13/1/0.064,13/3/0.017,13/4/0.045,14/1/0.013,16/2/0.038,17/0.0190,18/1/0.130,18/3/0.054,18/4/0.009,18/5/0.060,19/3/0.1155,19/4/0.0145,19/5/0.101,22/1/0.231,23/1/0.123,23/2/0.130,24/0.253,25/0.240 की कुल 2.117 है0 कृषिभूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ कामर्शियल प्रयोजनार्थ भू0 रूपान्तरण करवाया जा रहा है, जिसको " गणेश वेयर हाऊसिंग कामर्शियल " के नाम से विकसित किया जा रहा है, जिनके आन्तरिक विकास कार्य सडक, बिजली, पार्क, नालियो का निर्माण मेरे द्वारा करवाया जावेगा, जिसके लिए हम पाबन्द रहेगे, हमारे द्वारा इस पेटे निम्न प्लाट नगरपालिका को रहन रखे जाने है, जब तक आन्तरिक विकास का कार्य पूर्ण नही हो जाता उक्त प्लाटो के संबंध मे कोई आवेदन नही किया जायेगा ।

ATTESTED

लगातार– 2

7551
14/11/2025

कुमार स्टाम्प विक्रेता ... [illegible] 1500

मूल्य [illegible]

रजि. क्र.सं. ... दिनांक

नाम [illegible]

पिता का नाम

पता [illegible]

राजस्व ... [illegible] ... 2025 को

[illegible]

नरेन्द्र कुमार स्टाम्प विक्रेता
कोर्ट परिसर, हनुमानगढ़

आधार! 3091 0376 3171

Scanned with OKEN Scanner

रहन रखे जाने वाले प्लाटों का विवरण

प्लॉट न0	कुल प्लॉट	साईज प्रत्येक प्लॉट	कुल ऐरिया वर्गफुट
05	01	136.5X 90	12285 वर्गफुट
04	01	60 X 90	5400 वर्गफुट

कुल 17685 वर्गफुट यानि 1643.58 वर्गमीटर

2– हम शपथपूर्वक ब्यान करते है कि शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य सही व सच लिखवाये है, कोई बात गलत नही लिखवाई है। दिनांक– 14–11–2025

ह0 मिकरान–

बिरमा देवी मोनू

बिरमा मोनू

ATTESTED
14-11-2025
SUBHASH CHANDER
Advocate/Notary
Distt. Hanumangarh (Ra.

Subhash Chander Advocate Notary Distt.-Hanumangarh (Rajasthan) Regd. No.-12013 Exp.20-11-2028 NOTARY GOVT. OF INDIA

Scanned with OKEN Scanner